राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2017/1572

दिनांक 10/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार चौहटन

विषय :– राजस्व आवेदन सं. 605/2016 अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. अनवान लाधाराम बनाम मांगीलाल वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त आवेदन में न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.06.17 की प्रमाणित प्रति अनुसार तरमीम दुरस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर 15 दिवस में पालना रिपोर्ट पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 605/2016

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थी – 1. लाधाराम पुत्र हडुमानराम जाति जाट
निवासी आदर्श नगर, नेतराड़, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. मांगीलाल 2.बाबूलाल पि.आसूलाल
3.मथरीदेवी पत्नि आसूलाल
जाति जैन, निवासी चौहटन
4.तहसीलदार चौहटन।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री ठाकराराम
विप्रार्थीगण वकील –

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

निर्णय

दिनांक :– 28/4/17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा आदर्श नगर, पटवार क्षेत्र नेतराड़, तहसील चौहटन में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। प्रार्थी के सेढ़ा सेढ़ विप्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 147/1 रकबा 50.00 बीघा का आया हुआ है। वादग्रस्त भूमि पहले प्रार्थी के दादा के नाम दर्ज थी । उनके द्वारा विप्रार्थीगण को बेचान की गई। बेचान के बाद तरमीम करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी के कब्जे काश्त को नजर अंदाज कर मौके कब्जे अनुसार तरमीम नहीं कर गलत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी अपने काश्त अनुसार सलंग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शाये बरंग लाल अनुसार तरमीम दुरस्त करवाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 145/1 रकबा 24.05 बीघा में प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं सलंग्न परिशिष्ठ अनुसार राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में तरमीम दुरस्थ कराने तथा विप्रार्थी के कब्जा काश्त अनुसार खसरा सं. 147/1 रकबा 50.00 बीघा का सलंग्न परिशिष्ठ अनुसार तरमीम दुरस्थ करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार चौहटन को तरमीम दुरस्ती संबंधी मौका रिपोर्ट भिजवाने के लिए आदेश दिया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली राजस्व लोक

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अदालत कोर्ट कैम्प बीसारणिया में दिनांक 28.06.2017 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। उपरोक्त वादग्रस्त के संबंध में तहसीलदार से मौका रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 भू.रा.अ. वास्ते तरमीम दुरस्ती स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श नगर, पटवार क्षेत्र नेतराड़ के खसरा सं. 145/1 एवं 147/1 की तरमीम तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द तथा सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट व परिशिष्ट "ब" नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.06.17 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प बिसारणिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

नक्शा किस्तवार

मौजा - आदर्शनगर तह० - चौहटन

पैमाना - [illegible]

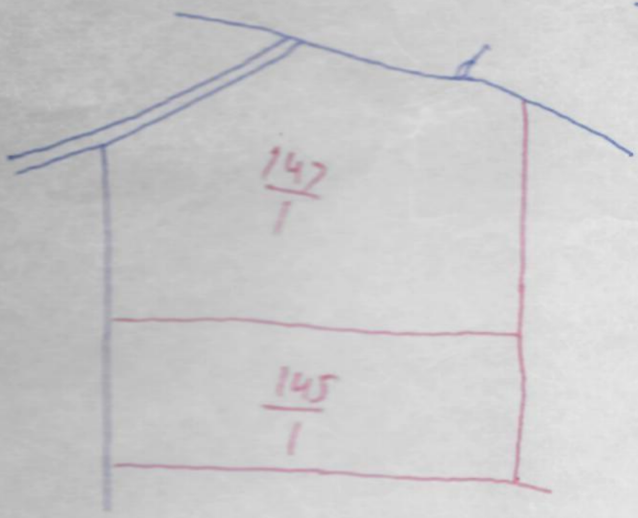

परिशिष्ट "अ"

प्रमाणित प्रतिलिपि -

10/4/2017

पटवारी नेतरड़

C.S.

तहसीलदार(भू.अ.) चौहटन